कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : **dme12001@yahoo.com** वेबसाईटः **www.medicaleducation.mp.gov. in**

Dated-27.08.2024

शासकीय विद्यालय विद्यार्थी कोटा (GS Seat Quota) अभ्यर्थियों हेतु महत्तपूर्ण सूचना
मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2024–25

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2024–25 में भाग लेने वाले समस्त शासकीय विद्यालय विद्यार्थी कोटा हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **GS Quota** की सीट पर आवंटन होने पर आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों के सत्यापन (Original Documents Verification) के समय अभ्यर्थी जिनके द्वारा कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन किया है को प्रोफार्मा–10 अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी को प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की अंकसूची की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा, किसी कक्षा की अंकसूची उपलब्ध न होने पर संबंधित शासकीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के उस कक्षा में किये गये अध्ययन के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक निजी विद्यालय में अध्ययन किया गया हो उन्हें शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रमाण पत्र एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची के साथ निजी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षा के अधिनियम के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा अध्ययन किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश